न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 08 / 2018 (डूंगरपुर डिक्री)

लक्ष्मणसिंह पिता गुलाबसिंह राव, निवासी नन्दोड, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. नानजी पिता धूलजी अंगारी मीणा, निवासी सेमलिया घाटा हाल निवासी मोवाडी, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती शारदा पत्नी नानजी मीणा, निवासी सेमलिया घाटा हाल निवासी मोवाडी, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)
3. रूपलाल पिता भाणजी मीणा, निवासी सेमलिया घाटा हाल निवासी मोवाडी, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)
4. मनोज उर्फ माना पिता भाणजी मीणा, निवासी सेमलिया घाटा हाल निवासी मोवाडी, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)
5. भाणा पिता कालिया मीणा मीणा, निवासी सेमलिया घाटा हाल निवासी मोवाडी, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (मृतक) नाम तर्क किया
6. देवीलाल पिता धुला पंचाल, निवासी नन्दोड, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)
7. बदिया पिता बापू मीणा तत्कालीन सरपंच नन्दोड़, निवासी नन्दोड, तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)
8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का०अ० 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा दिनांक
24.05.2018 प्रकरण सं0 76 / 2009

———/———

उपस्थित :– 1– श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री ए.एल. पंचाल अभिभाषक रे.सं. 1 से 4, 6, 7

———::———

निर्णय **दिनांक 08–08–2024**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अधीन अन्तर्गत धारा 88, 188, 90, 91, 92–ए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नन्दोड की आराजी नंबर 3063 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा बिलानाम आराजी थी, जिसका मीन रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा रखत रकबा 33 बीघा मिलाकर रकबा 40 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल आराजी नंबर 3474 चारागाह घोषित कर दी गयी है। इस रकबे की 3 बीघा भूमि जो डूंगरपुर सागवाड़ा रोड़ के बाई ओर स्थित है, उस पर गत 40 वर्षो से वादी का कब्जा चला आ रहा है। वादी के पिता द्वारा पेनाल्टी की रसीदें जमा की गयी है, जिससे उनका पुराना कब्जा प्रमाणित है। वादी अपने पुराने कब्जे के आधार पर उक्त 3 बीघा भूमि नियमन कराने का अधिकारी है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 6 वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहते हैं तथा अन्य प्रतिवादीगण से मिलकर जबरन झोपड़ी बना ली, जिसे विध्वंस करा वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी को विवादित आराजी नंबर 3474 के रकबा 3 बिस्वा जिस पर वादी का 40 सालों से कब्जा चला आ रहा है, का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 5 तनकियां कायम की गयी तथा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 24–05–2018 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4, 6, 7 की ओर से अधिवक्ता श्री ए. एल. पंचाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी नंबर 3474 के 3 बीघा रकबे पर अपीलान्ट का कब्जा 40 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है, स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाबदावे में 1 बीघा भूमि पर वादी की थुअर की बाड़ लगाकर कब्जा होना स्वीकार किया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी को सुनवाई का अवसर दिये बिना मात्र विवादित भूमि चारागाह घोषित होने के आधार पर वाद खारिज कर दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:43 IST
Reason: SelfAttested

है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा विधिवत सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जिसकी खातेदारी किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जिसका आवंटन/नियमन अथवा खातेदारी देय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन करते हुए विवादित आराजी चारागाह दर्ज होने से आवंटन/नियमन योग्य नहीं मानते हुए वादी का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 24–05–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:43 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......**भू०प्र०अ० एवं पदेन रा०अ०अ०**.........मुकाम........**उदयपुर**............
व इजलास ....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर०ए०एस०** ....

लक्ष्मणसिंह पिता गुलाबसिंह राव, निवासी नन्दोड, तह0 सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर बनाम **नानजी पिता धूलजी अंगारी मीणा नि0 सेमलिया घाटा हाल गोवाडी, त.सागवाड़ा, जि. डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं०......**08/2018**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**......
.....**सागवाड़ा**........... मुकाम................मुवर्खे............**24**..............माह..............**05**...........**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........**08**....माह........**08**....सन् **2024** रूबरू.......**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री लालसिंह चुण्डावत**.....मिनजानिब अपीलान्ट व........**श्री ए.एल. पंचाल**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 24–05–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**08**.......माह.......**08**..........**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर ... का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:51:43 IST
Reason: SelfAttested